



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082023-248158  
CG-DL-E-17082023-248158

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476]  
No. 476]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2023/श्रावण 26, 1945  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2023/SHRAVANA 26, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त 2023

सा. का. नि. 606(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (थ) और (यज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) (संशोधन) नियम, 2023 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020 के, नियम 7 के, उप-नियम (2) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

## "सारणी

| क्र.सं. | वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में भुगतान किया गया मूल्य | देय शुल्क की राशि |
|---------|---|-------------------|
| (1)     | (2)   | (3)               |
| (1)     | पांच लाख रुपये तक   | शून्य             |
| (2)     | पांच लाख रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक                       | 200 रुपये         |
| (3)     | दस लाख रुपये से अधिक और बीस लाख रुपये तक                        | 400 रुपये         |
| (4)     | बीस लाख रुपये से अधिक और पचास लाख रुपये तक                      | 1000 रुपये        |
| (5)     | पचास लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक                     | 2000 रुपये        |
| (6)     | एक करोड़ रुपये से अधिक और दो करोड़ रुपये तक                     | 2500 रुपये        |
| (7)     | दो करोड़ रुपये से अधिक और चार करोड़ रुपये तक                    | 3000 रुपये        |
| (8)     | चार करोड़ रुपये से अधिक और छह करोड़ रुपये तक                    | 4000 रुपये        |
| (9)     | छह करोड़ रुपये से अधिक और आठ करोड़ रुपये तक                     | 5000 रुपये        |
| (10)    | आठ करोड़ रुपये से अधिक और दस करोड़ रुपये तक                     | 6000 रुपये        |
| (11)    | दस करोड़ रुपये से अधिक  | 7500 रुपये”       |

[फा. सं. जे-10/6/2018- सीपीयू(भाग-1)]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 448(अ), तारीख 15 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 892(अ), तारीख 21 दिसम्बर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2023

**G.S.R. 606(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (q) and (zj) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020, namely:-

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020, in rule 7, in sub-rule (2), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

## “TABLE

| Sl. No. | Value of goods or services paid as consideration    | Amount of fee payable |
|---------|---|-----------------------|
| (1)     | (2)   | (3)                   |
| (1)     | Upto Rupees Five Lakh                               | Nil                   |
| (2)     | Above Rupees Five Lakh and upto Rupees Ten Lakh     | Rs. 200               |
| (3)     | Above Rupees Ten Lakh and upto Rupees Twenty Lakh   | Rs. 400               |
| (4)     | Above Rupees Twenty Lakh and upto Rupees Fifty Lakh | Rs. 1000              |
| (5)     | Above Rupees Fifty Lakh and upto Rupees One Crore   | Rs. 2000              |
| (6)     | Above Rupees One Crore and upto Rupees Two Crore    | Rs. 2500              |
| (7)     | Above Rupees Two Crore and upto Rupees Four Crore   | Rs. 3000              |

|      |  |            |
|------|--|------------|
| (8)  | Above Rupees Four Crore and upto Rupees Six Crore  | Rs. 4000   |
| (9)  | Above Rupees Six Crore and upto Rupees Eight Crore | Rs. 5000   |
| (10) | Above Rupees Eight Crore and upto Rupees Ten Crore | Rs. 6000   |
| (11) | Above Rupees Ten Crore                             | Rs. 7500". |

[F. No. J-10/6/2018-CPU(Pt.1)]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.448(E), dated the 15<sup>th</sup> July, 2020 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 892(E), dated the 21<sup>st</sup> December, 2022.